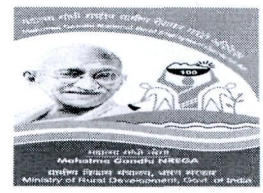
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन,

ब्लॉक—II द्वितीय तल, नया रायपुर, (छत्तीसगढ़)
☎0771-2331659, Email id-nregastatecell@gmail.com



क्रमांक:4527/718/वि—7/MGNREGA/तक./2016 नया रायपुर, दिनांक 23/12/2016

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
छत्तीसगढ़ इंफोटेक एण्ड बायोटेक प्रमोशन सोसायटी **(Chips)**,
तृतीय तल, स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग,
नवीन सर्किट हाऊस के सामने,
सिविल लाईन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़।
पिनकोड— 492001

विषय :— विज्ञापन प्रारूप अपलोड करने बाबत्।

—00—

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित महात्मा गांधी नरेगा परिषद् अंतर्गत ''बेयरफूट तकनीशियनों को निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक (Trainers) के रूप में भूमिका निर्वहन'' के लिये विज्ञापन आमंत्रित किया जाना है। इस हेतु ''विज्ञापन सूचना'' प्रारूप संलग्न प्रेषित है।

कृपया छत्तीसगढ़ शासन की अधिकृत वेबसाईट **www.cgstate.gov.in** के "Notice Board" में संलग्न ''विज्ञापन सूचना'' प्रारूप को अपलोड करवाने का कष्ट करें, जिसका लिंक विज्ञापन प्रारूप— ''बेयरफूट तकनीशियनों को निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक (Trainers) के रूप में भूमिका निर्वहन'' पद पर आवेदन के नाम से प्रदर्शित हो।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

23/12/16
(पी.सी.मिश्रा)
आयुक्त
महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा.परिषद्
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

विज्ञापन प्रारूप

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, छ.ग.

बेयरफूट तकनीशियन अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक (Trainers) के रूप में भूमिका निर्वहन हेतु आवेदन आमंत्रण के संबंध में शर्तें एवं आवेदन पत्र प्रारूप

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के बेयरफूट तकनीशियन (BFT) कार्यक्रम के अंतर्गत न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण व महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत एक्टिव जॉबकार्डधारी परिवार के इच्छुक महिला/पुरूषों को BFT विषयक 90 दिवसीय प्रशिक्षण दिये जाने हेतु **प्रशिक्षक (Trainer) बनने के लिए इच्छुक शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों से सेवा निवृत्त सिविल इंजीनियरिंग अभियंताओं से आवेदन मंगवाये जाते हैं।**

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 25 जनवरी 2017

अर्हता :–

1. इच्छुक अभ्यर्थी (निर्माण संबंधित विभागों जैसे– ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, सिचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग /निगमों/मंडलों के सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर सहायक अभियंता, कार्यपालन अभियंता, वाटरशेड विकास कार्यों से जुड़े शासकीय विभागों के सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर) बेयरफूट तकनीशियन्स (दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ग्रामीण) को प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षक (Trainer) का 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकेंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के या प्रतिनियुक्ति पर इस विभाग अंतर्गत प्रथम/द्वितीय श्रेणी अधिकारी (अभियंता) के रूप में पदस्थ अन्य विभागों में कार्यरत् सिविल इंजीनियरर्स या अन्य सिविल इंजीनियरिंग तकनीकी विभागों के द्वितीय श्रेणी अभियंता अधिकारी भी अपने विभागीय मुख्य अभियंता के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।
2. सेवानिवृत्त अधिकारियों का सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक/डिप्लोमाधारी होना अनिवार्य है। (स्व सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न की जावें)
3. प्रशिक्षक (Trainer) हेतु 10 दिवसीय अवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर में 40 से अधिक संख्या में इच्छुक प्रशिक्षक अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर आगामी माह में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुमोदन उपरांत आयोजित किया जायेगा। उपयुक्त आवेदन कम संख्या में प्राप्त होने पर प्रशिक्षक को 10 दिवसीय अवासीय प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु NIRD & PR हैदराबाद या अन्य राज्य में स्थित संस्थानों में आयोजित BFT ToT प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल पर जाना होगा, जिसकी जानकारी उपयुक्त पाए गये आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों को पृथक् से दी जावेगी। अतः सभी अभ्यर्थी अपना पूरा पता, मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. अनिवार्यतः स्पष्टता के साथ आवेदन पत्र में भरें।
4. 10 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को ठहरने व भोजन व्यवस्था का व्यय संबंधित संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा किन्तु प्रशिक्षण स्थल तक आने–जाने का

किराया आवेदक को स्वयं वहन करना होगा। अतः चयन की सूचना प्राप्त होते ही निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार आवेदन में अपनी यात्रा का कार्यक्रम इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगें।

5. 10 दिवसीय प्रशिक्षण उपयुक्त पाए गए आवेदकों (Trainers) को ही BFTs को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु अर्ह मानते हुए उन्हें प्रत्येक दिवस के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित मानदेय प्रदान किया जायेगा।
6. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।

आयु सीमा :– बेयरफूट तकनीशियन के प्रशिक्षक बनने हेतु आयु सीमा की कोई बाध्यता नहीं रखी गयी है। यदि अभ्यर्थी अन्य सभी वांछित योग्यताओं एवं शर्तों को पूर्ण करता/करती हो और अच्छा स्वास्थ्य रखता हो तथा प्रशिक्षण देने में सक्षम हो वह प्रशिक्षक की भूमिका निर्वहन हेतु आवेदन कर सकता है।

अन्य शर्ते :–

1. प्राप्त आवेदन पत्रों में से जिन अभ्यर्थियों के पास किसी भी क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का अनुभव होगा तो उन्हें अन्य शर्ते समान होने की स्थिति में प्राथमिकता दी जावेगी (सिविल अभियंत्रण में प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को Weightage (महत्व) दिया जावेगा)।
2. बेयरफूट तकनीशियन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयनित प्रशिक्षक (Trainer) को ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर, एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. में बेयरफूट तकनीशियन समिति द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम (Training Schedule) अनुसार समय–समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उपस्थित होना होगा।
3. आवेदन किसी भी अभ्यर्थी द्वारा स्वतः किया जा सकता है।
4. जिन अभ्यर्थियों को जितना अधिक अनुभव होगा उन्हें चयन के समय उतना अधिक Weightage (महत्व) दिया जाएगा।

कार्यावधि :–

बेयरफूट तकनीशियन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक के रूप में भूमिका निर्वहन हेतु चयनित प्रशिक्षकों (Trainers) का कार्यकाल तब तक होगा, जब तक कि छत्तीसगढ़ राज्य में बेयरफूट तकनीशियनों की निर्धारित संख्या पूर्ण नहीं हो जाती।

वेतन एवं सुविधाएं :–

1. बेयरफूट तकनीशियन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयनित प्रशिक्षकों (Trainers) को बेयरफूट तकनीशियन समिति द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रदान किये गये प्रशिक्षण दिवसों/सत्रों के लिए प्रशिक्षण समन्वयक के सत्यापन के आधार पर भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा, रायपुर, छ.ग. द्वारा निर्धारित मानदेय देय होगा।

2. निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु चयनित प्रशिक्षकों के लिए ठहरने, भोजन तथा प्रशिक्षण स्थल तक आने एवं जाने की व्यवस्था का व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा।

पदच्युति / त्यागपत्र :–

1. बेयरफूट तकनीशियन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक (Trainer) के तौर पर भूमिका निर्वहन हेतु चयनित प्रशिक्षक बेयरफूट तकनीशियन का 90 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ होने के एक माह पूर्व सूचना देकर प्रशिक्षक (Trainer) के तौर पर भूमिका निर्वहन से त्यागपत्र दे सकता है।

कार्य :– प्रशिक्षक (Trainer) के कार्य निम्नानुसार होंगे :–

(i) बेयरफूट तकनीशियन समिति द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना।

(ii) प्रति प्रशिक्षण दिवस उपरांत BFT प्रशिक्षुओं का दैनिक परीक्षण तथा मूल्यांकन करना।

(iii) बेयरफूट तकनीशियन समिति द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुसार BFT प्रशिक्षु को निर्धारित क्षेत्र भ्रमण हेतु क्षेत्र में चयनित कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करना।

(iv) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ASCI एवं महात्मा गांधी नरेगा परिषद्, छ.ग. द्वारा बेयरफूट तकनीशियन के संबंध में चाही गई जानकारियों का संकलन कर प्रेषित करना।

चयन प्रक्रिया :–

बेयरफूट तकनीशियन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक (Trainer) हेतु चयन प्रक्रिया 02 चरणों में की जावेगी :–

प्रथम चरण :– आवेदकों के आवेदनों को अर्हता के आधार पर बेयरफूट तकनीशियन समिति द्वारा अनुशंसा किये जाने पर आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा परिषद्, छ.ग. द्वारा 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (Training of Trainers) हेतु चयनित किया जावेगा।

द्वितीय चरण :– आवेदकों की संख्या 40 या उससे अधिक होने की स्थिति में 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (BFT ToT) ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में आगामी माह में आयोजित किया जायेगा तथा आवेदकों की संख्या 40 से कम होने की स्थिति में प्रशिक्षक को 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण (BFT ToT) प्राप्त करने हेतु NIRD & PR हैदराबाद या अन्य राज्यों में स्थित संस्थान में आयोजित BFT ToT प्रशिक्षण स्थल पर जाना होगा, जिसकी जानकारी आवेदकों के अर्हता निर्धारण में उपयुक्त पाए गये आवेदनकर्ता अभ्यर्थियों को पृथक् से दी जावेगी। प्रशिक्षण उपरांत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही बेयरफूट तकनीशियन के 90 दिवसीय अवासीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षण देने हेतु चयनित किया जावेगा। 10 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (BFT ToT) में अभ्यर्थियों के ठहरने व भोजन की व्यवस्था का व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा किन्तु प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थल / संस्थान तक आने–जाने का किराया आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।

आवेदन करने का तरीका :–

इच्छुक आवेदक अथवा प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा भी किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में पूर्ण जानकारी के साथ विज्ञापित पद हेतु आवेदन पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से निम्नलिखित पते पर प्रेषित किया जा सकता है :–

आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद्
विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–II, द्वितीय तल, नया रायपुर (छ.ग.)

आवेदन पत्र पूर्ण विवरण के साथ पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय को प्रेषित किया जावे तथा ई–मेल आईडीः **nregastatecell@gmail.com** पर भी भेजना आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार इच्छुक व्यक्ति द्वारा अपना आवेदन पूर्ण विवरण के साथ जमा करने की अंतिम तिथि : दिनांक **25 जनवरी 2017** है।

(पी.सी.मिश्रा)
आयुक्त
महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा.परिषद्
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

बेयरफूट तकनीशियन अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षक (Trainers) के रूप में भूमिका निर्वहन हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

प्रति,

आयुक्त,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी परिषद्, विभागाध्यक्ष कार्यालय ,
इन्द्रावती भवन, ब्लॉक–2, द्वितीय तल,
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

स्वप्रमाणित
पासपोर्ट साईज
फोटोग्राफ

01. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :– .....
(अंग्रेजी में) :– .....

02. पिता/पति का नाम (हिन्दी में) :– .....
(अंग्रेजी में) :– .....

03. माता का नाम (हिन्दी में) :– .....
(अंग्रेजी में) :– .....

04. अभ्यर्थी – महिला/ पुरूष :– .....

05. जन्म तिथि (अंको में) :– .....
(शब्दो में) :– .....

06. ~~दिनांक~~ 01.01.2016 की स्थिति में आयु :– वर्ष..... माह..... दिन.....

07. जाति/वर्ग :– .....
(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

08. वर्तमान पत्र व्यवहार का पता :– .....
:–.....
:–.....

09. स्थाई निवास का पता :–.....
:–.....
:–.....

10. दूरभाष/मोबाइल नम्बर :–.....

11. ई–मेल :–.....

12. क्या आप दिव्यांग हैं :–.....(हां/नहीं)
(प्रमाण पत्र संलग्न करें–यदि लागू हो)

13. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी का प्रमाण पत्र :–.....
(सलंग्न करें)

14. शैक्षणिक योग्यता (प्रत्येक का प्रमाण पत्र संलग्न करें) :–

क्र0	परीक्षा का नाम	बोर्ड/संस्था का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							

15. यदि आवेदक कार्यरत/सेवानिवृत्त है तो वर्तमान/अंतिम सेवा के समय

पदनाम.. :–.....

विभाग का नाम :–.....

कार्यालय का नाम :–.....

16. आवेदक के अनुभव का विवरण

क्र0	विभाग का नाम	कार्यालय का नाम	कार्यावधि		अनुभव
			कब से	कब तक	
कुल अनुभव (वर्ष एवं माह में)					

17. संलग्न दस्तावेजों की सूची :–

1..... 2. .....

3..... 4. .....

5..... 6. .....

7..... 8. .....

घोषणा–पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त विवरण पूर्णतः सत्य एवं पूर्ण है। किसी भी स्थिति में विवरण असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीद्वारी निरस्त हो जाएगी तथा मेरे सभी दावे समाप्त हो जायेंगे।

स्थान :–..... आवेदक के हस्ताक्षर

दिनाँक :–..... आवेदक नामः–.....